

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक संख्या/प्र0स0-2/4291-94

/2017-18

दिनांक 06/7

प्रबन्धक,

भसीन इन्टरनेशनल स्कूल,
पूरनपुर विकास क्षेत्र पूरनपुर,
जनपद पीलीभीत।

विषय:- एन0सी0से कक्षा-8 तक अग्रेजी माध्यम की मान्यता के सम्बंध मे।

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 08 मई 2013 के पैरा 13 मे प्रावधान किया गया है, कि प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि मे मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विधालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरनपुर के द्वारा विधालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण मे विधालय उक्त शासनादेश के अनुरूप मानक को पूर्ण कर एवं किसी भी प्रकार की शिकायत परिलक्षित नहीं हुई। अतः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या शि0स0/12640-45/2014-15 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा एन0सी0 से कक्षा-8 तक अस्थायी मान्यता अग्रेजी माध्यम की प्रदान की गई को अगामी वर्षों तक बढ़ाई जाती है, और निर्देशित किया जाता है, कि उक्त शासनादेश का भविष्य मे भी अनुपालन करना सुनिश्चित करें

(मसऊद अख्तर अंसारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत

पू0स0:प्र0स0-2/ /2017-18

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक)बरेली मण्डल बरेली।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)बरेली मण्डल बरेली।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

संख्यांक: ब0लि0/मान्यता/12640-45

/2014-15

दिनांक 24/12/14

प्रबन्धक:-

भसीन इन्टर नैशनल स्कूल (अंग्रेजी माध्यम)

नरायनपुर, पूरनपुर, पीलीभीत

विषय- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यताप्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश सं0 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 8 मई 2013 के निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29-11-2014 के निर्णयानुसार मैं भसीन इन्टर नैशनल स्कूल नरायनपुर, पूरनपुर, पीलीभीत को तारीख 01.7.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एन0सी0 से कक्षा आठ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरांक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगी।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
- I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा

- II. किसी भी बालक को, शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
- III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण- पत्र प्रदान किया जाएगा।
- V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- VI. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं। पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सपरीक्ष की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए

जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यां 10(2014-15) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरणके नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. आपके द्वारा भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन/असत्यता की स्थिति दृष्टिगोचर होती है अथवा शासन/विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

पृ0स0/मान्यता / 12640-45 2013-14 तद दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ
2. शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) तृतीय मण्डल बरेली।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बरेली।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी पूरनपुर पीलीभीत।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।